कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0
प्रार्थी :- सर्वश्री चैम्बर आफ ट्रेडर्स ,साहब गंज,गोरखपुर ।
प्रार्थना पत्र सं0 :- 14 / 2008
प्रार्थी की ओर से :- श्री जी0एस0सरकारी ,अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री चैम्बर आफ ट्रेडर्स ,साहब गंज,गोरखपुर के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 21-1-08 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है :-

'' महुआ फूल पर कर की दर की स्थिति स्पष्ट नहीं है । इन पर कर की दर क्या होगी ? ''

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर से आख्या मॉगी गई जो उन्होने अपने प0 सं0 3734 दि0 01-02-08 से प्रेषित की है । जिसमें उन्होनें सूचित किया है कि महुआ फूल वर्गीकृत नहीं है अत: इस पर कर की दर अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5% होनी चाहिए ।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर श्री जी0एस0सरकारी ,अधिवक्ता, उपस्थित हुए । उन्होने तर्क किया कि महुआ फूल उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति संख्या- 3121 दिनांक 24-12-07 की अनुसूची एक के क्रमांक !6 के अन्तर्गत आते है अत: यह करमुक्त होनी चाहिए । उन्होनें यह भी तर्क किया कि इनका उपयोग पशु चारा के रुप में किया जाता है । पुन: यह तर्क किया कि विज्ञप्ति संख्या- 3121 दिनांक 24-12-07 की अनुसूची -2 के भाग अ की क्रम संख्या- 57 में भी सूखे फूल अंकित है जिस पर कर की दर 4% है।

4- मैनें विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखो का अवलोकन किया । प्रार्थी की ओर से महुआ फूलो पर कर की दर का प्रश्न उठाया गया है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या- 3121 दिनांक 24-12-07 से किसी भी अनुसूची में महुआ फूल का उल्लेख नहीं है।जहॉ तक विद्वान अधिवक्ता के तर्को का सम्बन्ध है कि महुआ फूल अनुसूची एक के क्रमांक 16 मे अथवा अनुसूची 2 के भाग अ के क्रमांक 57 में आयेगे , स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । अनुसूची एक के क्रमांक 16 में **''ताजे पौधे सैपलिंग्स एवं ताजे फूल''**अंकित है जिसमें महुआ फूल स्पष्ट रुप से नहीं आते है । जहॉ तक अनुसूची 2 के भाग अ के क्रमांक 57 का सम्बन्ध है यह प्रविष्टि निम्न है:-

'' Herb , bark , dry plant , dry root, commonly known as jari booti and dry flower .''

उपरोक्त प्रविष्टि के अर्न्तगत भी महुआ फूल नहीं आते है क्योंकि यह प्रविष्टि सामान्य तौर पर जड़ी बूटी की तरह जानी जाने वाली हर्ब ,छाल, सूखे पौधे ,सूखी जड़े एवं सूखे फूल से सम्बन्धित है। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि महुआ फूल पर मध्य प्रदेश में 4% की दर से करदेयता है और राजस्थान में शून्य करदेयता है, भी कोई सहायता नहीं करता है क्योंकि धारा-59 के अन्तर्गत केवल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जारी की गयी विज्ञप्तियों के अनुसार स्थिति स्पष्ट की जा सकती है । इस प्रकार महुआ फूल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी की गयी विज्ञप्ति में वर्गीकृत नहीं है अत: इन पर कर की दर अनुसूची 5 के अनुसार 12.5% होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है

7- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 12, फरवरी ,2008

ह0 12-2-08
(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com